

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 2020

विषय- जनपद शाहजहाँपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तूलाल चौराहा-रोजा अड्डा चौराहा (चैनेज 2.00-2.950) हथोडा चौराहा-पुत्तूलाल चौराहा (0.00-2.750) जी०आई०सी० से अटसालिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज 0.00-3.950) बरेली रोड से गर्गा रोड (चैनेज 0.00-1.800) तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 9.16 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 523 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/Road/43247/2019)

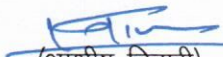
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-8बी/यूपी०/०६/२९/२०२०/एफ०सी०/६४०, दिनांक 27.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1032/11-सी-एफपी/यूपी/Road/43247/2019, दिनांक 02.11.2020 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के उपर्युक्त पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गई सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव